समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का दशम् सत्र दिनांक 26 जुलाई, 2013 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल छः बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा सत्रोपरान्त महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 09 (नौ) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । 10 (दस) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 29 जुलाई, 2013 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 1987-88, 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2010-11 का अधिकाई व्यय विवरणी सदन पटल पर रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा सारण जिले में विषाक्त मिड-डे-मिल से हुई 23 बच्चों की मृत्यु की घटना पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया ।

दिनांक 01.08.2013 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का (1) राजस्व प्रक्षेत्र प्रतिवेदन (2) सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र प्रतिवेदन तथा (3) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर स्टेन्ड एलोन प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखा गया एवं जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय के रूझान की प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 की उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखा गया ।

प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 की प्रति सदन पटल पर रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित उर्जा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

दिनांक 01 अगस्त, 2013 को माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय पर तथा दिनांक 02 अगस्त, 2013 को माननीय सदस्य डॉ० उषा विद्यार्थी एवं अन्य सदस्यों द्वारा नियम-105 के तहत चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर क्रमशः सदन में विचार-विमर्श के उपरान्त सरकार का उत्तर हुआ ।

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-177, 178, 179 एवं 180, दिनांक 21.03.2013 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-193, 194, 195, 196, दिनांक 01.04.2013, एस.ओ.-218, 219, 220 एवं 221, दिनांक 09.05.2013 की एक-एक प्रति तथा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बोधगया मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2013, (2) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (3) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (4) नालंदा खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (5) बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2013 (6) बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 (7) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 एवं (8) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011) विधेयक, 2013 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

सत्र के दौरान कुल-1017 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-606 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 12 अल्पसूचित प्रश्न, 499 तारांकित प्रश्न एवं 95 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 33 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 109 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये। 01 प्रश्न अपृष्ठ हुए, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-34 एवं 429 प्रश्न अनागत हुए।

सत्र के दौरान कुल-92 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल-132 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 109 स्वीकृत हुए एवं 23 अस्वीकृत हुए । कुल-95 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 79 स्वीकृत एवं 16 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल-135 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 10 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 92 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 33 अमान्य हुए ।

बिहार विधान सभा की कार्यवाही का Web Cast तथा पटना दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण एवं आकाशवाणी द्वारा प्रश्नकाल का डेफर्ड प्रसारण किया गया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र है ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । मैं अपनी तथा पूरे सदन की ओर से बिहार के तमाम लोगों एवं सभी माननीय सदस्यों को ईद एवं रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।